कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–1677/11–सी–FP/UP/Road/28804/2017, लखनऊः दिनांकः दिसम्बर 22,2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित एवं 8.4165 हे0 संरक्षित अर्थात कुल 17.5714 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–भा0स0–पी–154/14–2–2017–800(143)/2017, दिनांक–18.12.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में भू–स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण ने वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद के पत्रांक–2530/14–10, दिनांक 22.12.2017 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया है कि भू–स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है तथा वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी है। अतः अनुरोध है कि उक्त वचनबद्धता के आधार पर आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(आर0आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– /11–सी– FP/UP/Road/28804/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, फैजाबाद, आजमगढ़ एवं वाराणसी।
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, मऊ एवं गाजीपुर।
4. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा), उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(आर0आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1638